

आदेश

शासनादेश संख्या-9 (1) राजस्व-3/3(1)/74 दिनांक 25-1-1974 का ऑशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम -1950 (उ0प्र0) अधिनियम संख्या-1/1451 की धारा-117 की उपधारा-6 के द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-258/रा0ए0-16(1) -73 दिनांक 5 मार्च 1974 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं सी0पी0 त्रिपाठी, प्रभारी जिलाधिकारी फतेहपुर अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 25-1-74 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित गाँवसभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित थी, राजकीय पालीटेक्निक के निर्माण हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

शेखर
पहलवा
मन्मोहन
: 01/08/09

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाँवसभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुर्नग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	फतेहपुर	बिन्दकी	टप्पाजार	पारादान	भूमि प्रबन्धक समिति	263घ मि0	0.8100	राजकीय पालीटेक्निक के निर्माण हेतु
			कीडा	नन्दापुर		1030	1.0093	
						1031	0.2600	
						1032	0.1500	

(सी0पी0त्रिपाठी)
प्र0 जिलाधिकारी
फतेहपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ
- 2- आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद।
- 3- उप जिलाधिकारी बिन्दकी जिला फतेहपुर।
- 4- तहसीलदार बिन्दकी को इस आशय से कि राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त आदेश का अंकन कराकर खतौनी प्रतिलिपि सहित कार्यालय को वापस करने का कष्ट करें।
- 5- प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक फतेहपुर।

(सी0पी0त्रिपाठी)
प्र0 जिलाधिकारी
फतेहपुर